जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना हीमपुर दीपा **दिनाँक 03.05.2026**

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 31/2026 धारा 238(A) से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण: -

दिनांक 21.04.2026 को वादी श्री सुदेश कुमार पुत्र छोटन सिंह निवासी ग्राम रावटी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.अंकित पुत्र भूपेन्द्र, 2.अतुल पुत्र भूपेन्द्र सिंह व 3.एक व्यक्ति नाम अज्ञात निवासीगण ग्राम टूंगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर में घुसकर जान से मारने की नियत से वादी व वादी के पुत्र सौरभ पर फायर किया गया जिससे वादी का पुत्र सौरभ गम्भीर रुप से घायल हो गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 31/2026 धारा 109(1)/333/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा दौराने उपचार वादी के पुत्र सौरभ की मृत्यु हो जाने पर अभियोग उपरोक्त में धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही:-

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ गुड्डु पुत्र कल्याण निवासी ग्राम टूंगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक बुलैट मोटरसाइकिल (UP20 BR 8793) सहित गिरफ्तार किया गया। दौराने विवेचना अभियोग उपरोक्त में धारा 238(A) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट-

दिनांक 25.04.2026 को अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण 1. अंकित पुत्र भूपेन्द्र निवासी ग्राम टूंगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 2 .अतुल पुत्र भूपेन्द्र निवासी ग्राम टूंगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर व 3. सोकेन्द्र उर्फ शौकीन उर्फ सौकी पुत्र छोटन निवासी ग्राम टूंगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 32 बोर मय एक खोखा कारतूस व दो मोटरसाइकिल एवं दो मोबाईल फोन , 350/-रुपये नगद सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पूछताछ

पूछताछ में अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ गुड्डु ने बताया कि दिनांक 20.04.2026 को उसका पुत्र अंकित उक्त बुलेट मोटर साइकिल से शादी में हुए विवाद का बदला लेने के उद्देश्य से गया था। रात्रि लगभग 11:30 से 12:00 बजे के बीच अंकित द्वारा सौरभ के सिर में गोली मार दी गयी थी। घटना की जानकारी होने पर वह स्वयं भी ग्राम रावटी

मौके पर पहुंचा तथा सबूत मिटाने एवं अपने पुत्र को अपराध में सजा से बचाने के उद्देश्य से उक्त बुलेट मोटर साइकिल को वहां से हटाकर ले गया। अभियुक्त ने बताया कि आज वह इसी बुलेट मोटर साइकिल को छिपाने के लिए ले जा रहा था, तभी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

भूपेन्द्र उर्फ गुड्डु पुत्र कल्याण निवासी ग्राम टूंगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

बरामदगी

घटना में प्रयुक्त 01 बुलेट मोटर साइकिल रजि0 नं0 UP20BR8793

पुलिस टीम का विवरण-

1.उपनिरीक्षक श्री मुकेश थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

2.का0 1973 अविनेन्द्र कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

3.का0 2426 शक्तिराम थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

4.का0 426 अनुज कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 03.05.2026**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त को चोरी की 02 मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 02.05.2026 को वादी फखरुद्दीन पुत्र फतेउद्दीन निवासी मौ0 चाहशीरी बी 24 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर की हीरो पेशन मो0सा0 रजि नं0 UP20BB0140 को चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर मु0अ0स0 333/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 02.05.2026 को ही वादी आशु चौधरी पुत्र विपिन कुमार निवासी मौ0 तीवडी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर की हीरो स्पलेन्डर रजि नं0 UP20BZ0818 को चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे को प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर मु0अ0स0 334/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा प्रकाश मे आये अभियुक्त कुलवन्त कुमार उर्फ काला पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम रावली थाना मंडावर बिजनौर को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की गई 02 मोटरसाईकिल हीरो पेशन रजि नं0 UP20BB0140 व हीरो स्पलेन्डर रजि नं0 UP20BZ0818 बरामद की गई। बरामदगी व साक्ष्य संकलन के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कुलवन्त कुमार उर्फ काला पुत्र राजकुमार नि0ग्राम रावली थाना मंडावर बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

1.हीरो पेशन रजि नं0 UP20BB0140
2.हीरो स्पलेन्डर रजि नं0 UP20BZ0818

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 कुलवीर सिंह थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
2.का0 2174 हेमन्त थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
3.का0 367 योगेश थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
4.का0 2972 अनुज कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
5.का0 1556 सोहेल थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना स्योहारा   दिनाँक- 03.05.2026

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 153/26 धारा 302 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.05.26 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक) पर अभियुक्त जुबैद पुत्र स्व शाहिद निवासी खेडीजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा अपनी आईडी से देश के गणमान्य / जनप्रतिनिधि के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी कर विडियो पोस्ट की गई थी । इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 153/26 धारा 302 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जुबैद पुत्र स्व0 शाहिद निवासी खेडीजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता:-

जुबैद पुत्र स्व शाहिद निवासी खेडीजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. निरीक्षक अपराध दिनेश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 श्री प्रमोद शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3. का0 1135 प्रभात थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–रिजर्व पुलिस लाइन, दिनॉक 03.05.2026

रिजर्व पुलिस लाइन्स, जनपद बिजनौर में चिकित्सा गतिविधि कैम्प का आयोजन

वामा सारथी उ0प्र0 पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज दिनांकः 03.05.2026 को रिजर्व पुलिस लाइन्स, जनपद बिजनौर में आयुष विभाग की सहभागिता से आयोजित वामा वेलनेस होम्योपैथिक चिकित्सा परामर्श एवं दवा वितरण कैम्प में **(बीमारियों से बचाव/तत्काल उपचार/जागरूकता बढाना, संक्रमण आदि)** से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुये उसके उपचार और दवाइयां उपलब्ध कराई गयी, एवं डॉ0 श्रीमती आंचल त्यागी द्वारा स्त्री रोग पर चर्चा की गयी। वामा सारथी अध्यक्षा श्रीमती रिया झा पत्नी श्री अभिषेक पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजनों (कुल 92) ने कैम्प का लाभ उठाया।

जिसमें उ0नि0 स0पु0 श्री अशोक कुमार तोमर, उ0नि0 स0पु0 श्री मुसब्बीर अली रिजर्व पुलिस लाइन्स जनपद बिजनौर, डॉ0 श्रीमती आंचल त्यागी, फार्मासिस्ट श्री विकास कुमार एवं श्री प्रमोद सिंह, उपस्थित रहें।